


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 8, 2013/आश्विन 16, 1935

No. 261]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2013/ASVINA 16, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्टूबर, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(संस्थागत व्यापारिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता विनियम, 2013)

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, -

(i) अध्याय X के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अध्याय X

आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बिना संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर

लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा पूँजी की सूचीबद्धता

और इसका निर्गमन

लागू होना

106ब. इस अध्याय के उपबंध उन लघु एवं मध्यम उद्यमों पर लागू होंगे जिनकी प्रतिभूतियाँ किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं और जो केवल संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर ही अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता चाहते हैं ।

परिभाषाएँ

106भ. (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म" से संसूचित विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता और के व्यापार हेतु एसएमई एक्सचेंज में व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म अभिप्रेत है ;

(ख) "लघु एवं मध्यम उद्यम" से पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है जिसमें शुरुआती कंपनी सम्मिलित है, जो विनियम 106म में विनिर्दिष्ट समस्त पात्रता शर्तों का अनुपालन करती है ।

(2) इस अध्याय में उपयोग किये गये किंतु उप-विनियम (1) में अपरिभाषित अन्य सभी शब्द और पद इन विनियमों के विनियम 2 से अपना अर्थ लेंगे ।

पात्रता

106म. लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर अपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए पात्र होगा, यदि यह निम्नलिखित को पूरा करता है :

- क) कंपनी, इसका संप्रवर्तक, समूह कंपनी या निदेशक क्रेडिट इनफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड द्वारा रखी गयी भारतीय रिज़र्व बैंक की इरादतन चूककर्ताओं (जानबूझकर चूक करने वालों) की सूची में नहीं आते ;
- ख) कंपनी के खिलाफ कोई भी परिसमापन याचिका नहीं है जो सक्षम न्यायालय द्वारा ग्रहण की गयी हो ;
- ग) कंपनी, समूह कंपनियाँ या समनुषंगियाँ सूचीबद्धता हेतु आवेदन की तारीख से पाँच वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को निर्देशित नहीं की गयी हैं ;
- घ) कंपनी, इसके संप्रवर्तक या निदेशक के खिलाफ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सूचीबद्धता हेतु आवेदन की तारीख से पाँच वर्ष पूर्व की अवधि के भीतर कोई भी विनियामक कार्रवाई नहीं की गयी है ;
- ङ) कंपनी ने निगमन के पश्चात् दस वर्षों से अधिक की अवधि पूरी नहीं की है और इसकी आमदनी पूर्व वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुई है ;
- च) कंपनी की समादत पूँजी पूर्व वित्तीय वर्षों में से किसी वर्ष में पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुई है ;
- छ) कंपनी के पास कम से कम पूरे एक वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण हैं, सूचीबद्धता आवेदन करने के समय ठीक पहले के वित्तीय वर्ष हेतु ;
- ज) निम्नलिखित मानदंडों में से कोई :
- (i) कम से कम एक आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि, जोखिम पूँजी निधि या बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिधानकर्ताओं (निवेशकों)/उधार देने वालों के अन्य प्रवर्ग ने पचास लाख रुपये की न्यूनतम रकम का विनिधान (निवेश) किया है, या
 - (ii) कम से कम एक एंजल विनिधानकर्ता (निवेशक) जो "एंजल विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के संघ/समूह" का सदस्य है जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिकथित मानदंडों को पूरा करता है, ने ऐसे संघ/समूह के माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरों में पचास लाख रुपये की न्यूनतम रकम का विनिधान (निवेश) किया है, या

- (iii) कंपनी को अपनी परियोजना वित्तपोषण या कार्यशील पूँजी अपेक्षाओं के लिए अनुसूचित बैंक से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है और ऐसे वित्तपोषण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि बीत गयी है और इस प्रकार प्राप्त निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा चुका है, या
- (iv) रजिस्ट्रीकृत मर्चेन्ट बैंककार ने सम्यक् तत्परता बरती है और कंपनी के इक्विटी शेयरों में पचास लाख रुपये से कम का विनिधान (निवेश) नहीं किया है जो सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु रुद्ध (लॉक-इन) हो जायेगा, या
- (v) अर्हित संस्थागत क्रेता ने कंपनी के इक्विटी शेयरों में पचास लाख रुपये से कम का विनिधान (निवेश) नहीं किया है जो सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्षों की अवधि हेतु रुद्ध (लॉक-इन) हो जायेगा, या
- (vi) विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय एजेंसी या देशी एजेंसी या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अधीन यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था ने कंपनी की इक्विटी पूँजी में विनिधान (निवेश) किया है ।

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता

106य. (1) कंपनी, जो विनियम 106म में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करती है, संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को आवेदन कर सकेगी, उसके साथ अनुसूची XIXक में यथा विनिर्दिष्ट प्रकटीकरणों से युक्त सूचना दस्तावेज को संलग्न करते हुए ।

(2) सूचना दस्तावेज को, इस प्रकार दाखिल किये जाने की तारीख से कम से कम इक्कीस दिनों की अवधि तक, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया जायेगा ।

(3) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकेगा ।

(4) कंपनी, जिसे संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर अपनी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हुआ हो, के बारे में यह समझा जायेगा कि उसे संस्थागत व्यापारिक

(ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्धता के सीमित प्रयोजन हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) के खंड (ख) से नियम 19 के उप-नियम (7) के अधीन बोर्ड द्वारा अधित्यजित किया गया है।

(5) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 106म और इसकी उप-विधियों का अनुपालन करता है, कंपनी की प्रतिभूतियों को संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध कर सकेगा।

प्रतिभूतियों के निर्गमन तथा पूँजी जुटाने संबंधी शर्तें

106यक. (1) संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के साथ किसी भी प्रकार से जनता के लिए प्रतिभूतियों का कोई निर्गम नहीं आयेगा।

(2) कंपनी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं लायेगी जब इसकी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं।

(3) संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध कंपनी अधिकारों के त्याग के विकल्प के बिना निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यु) के माध्यम से पूँजी जुटा सकेगी।

(4) कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं, द्वारा प्रतिभूतियों का निजी स्थानन निम्नलिखित के अधीन होगा :

- क) कंपनी निजी स्थानन से पूर्व मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्रास करेगी;
- ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 की उप-धारा (1क) के अधीन विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन अभिप्रास किया जायेगा;
- ग) कंपनी ऐसा अनुमोदन अभिप्रास करने के दो महीनों के भीतर प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा करेगी;
- घ) शेयरधारकों को दी जाने वाली सूचना (नोटिस) के व्याख्यात्मक विवरण में निम्नलिखित से संबंधित प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे :
 - (i) निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) का प्रयोजन;
 - (ii) आबंटितियों की पहचान;

- (iii) क्या आबंटिती संप्रवर्तक है या संप्रवर्तक समूह से संबंधित है और यदि नहीं तो संप्रवर्तक और आबंटिती के बीच संबंध;
 - (iv) निर्गमित की जा रही प्रतिभूतियों का स्वरूप;
 - (v) कीमत जिस पर प्रतिभूति निर्गमित की जा रही है ।
- ड) उप-विनियम (4) के खंड (घ) में यथा निर्दिष्ट प्रकटीकरण प्रसार के लिए मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराये जायेंगे, साधारण निकाय की बैठक से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व, जहाँ प्रस्तावित निजी स्थानन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है;
- च) निजी स्थानन के माध्यम से इस प्रकार निर्गमित प्रतिभूतियाँ उस कीमत पर लायी जायेंगी जो निम्नलिखित में से उच्चतर से कम न हो :
- (i) इसके अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जो छह महीनों से पुराने न हों, के अनुसार इक्विटी शेयरों का बही मूल्य;
 - (ii) स्वतंत्र लेखापरीक्षक की या रजिस्ट्रीकृत मर्चेंट बैंककार की रिपोर्ट में यथा अवधारित शेयरों का मूल्य ।
- (5) संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध कंपनी, जो साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यु) ला रही हो, निम्नलिखित का अनुपालन करेगी :
- क) वहाँ अधिकारों के त्याग का विकल्प नहीं होगा;
 - ख) कंपनी उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सैद्धांतिक अनुमोदन अभिप्रास करेगी जहाँ इसकी प्रतिभूतियाँ साधिकार निर्गम से पूर्व सूचीबद्ध हैं;
 - ग) साधिकार निर्गम लाने वाली कंपनी रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये अपने शेयरधारकों को प्रस्ताव पत्र भेजेगी और उसे कंपनी तथा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

न्यूनतम संप्रवर्तक शेयरधारिता और अवरुद्धता(लॉक-इन)

106यख. सूचीबद्धता के पश्चात् की पूँजी का कम से कम बीस प्रतिशत लघु एवं मध्यम उद्यम की विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के समय संप्रवर्तकों द्वारा धारित होगा जो सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए रुद्ध होगा ।

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों का व्यापार

106यग. (1) कंपनी की समस्त प्रतिभूतियाँ संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हो जाने पर गैर-कागज़ीकृत रूप में होंगी ।

(2) कंपनी सभी समयों पर कम से कम एक निक्षेपागार के साथ संयोजकता (क्नेक्टिविटी) रखेगी ।

(3) संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर न्यूनतम व्यापारिक (ट्रेडिंग) लॉट दस लाख रुपये होगा ।

संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म से निकास

106यघ. (1) कंपनी, जिसकी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं, उस प्लेटफार्म से निकास कर सकेगी, यदि :

क) इसके शेयरधारक डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करके ऐसे निकास का अनुमोदन करते हों जहाँ कुल मतों का नब्बे प्रतिशत और गैर-संप्रवर्तक मतों का बहुमत ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में डाला गया हो;

ख) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ इसके शेयर सूचीबद्ध हैं, ऐसे निकास को अनुमोदित करता हो ।

(2) कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध हैं, निम्नलिखित दशा में प्लेटफार्म से निकास करेगी :

क) इसकी विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ इस प्लेटफार्म पर दस वर्षों की अवधि से सूचीबद्ध हैं;

ख) कंपनी की समादत्त पूँजी पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक की है;

ग) कंपनी की आमदनी अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की है;

घ) कंपनी का बाजार पूँजीकरण पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है :

परंतु यह कि स्टॉक एक्सचेंज, खंड (क) से (घ) में यथा निर्दिष्ट घटनाओं में से किसी घटना के घटित होने पर, असूचीबद्धता के लिए ऐसी कंपनी को अठारह महीनों का समय प्रदान कर सकेगा ।

(3) संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन असूचीबद्ध की जायेगी और संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म से स्थायी रूप से हटा दी जायेगी :

- क) कंपनी एक वर्ष से अधिक से मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पास समय-समय पर दाखिल किये जाने वाले अपने दस्तावेज आदि दाखिल करने में असफल रही हो; या
- ख) कंपनी एक वर्ष से अधिक से कंपनी शासन मानदंड (मानदंडों) का अनुपालन करने में असफल रही हो; या
- ग) खंड (क) तथा (ख) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता की शर्त, जैसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, का अनुपालन न किये जाने पर कंपनी को असूचीबद्ध कर सकेगा ।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन असूचीबद्ध कंपनी की दशा में, ऐसी असूचीबद्ध कंपनी के संप्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा संप्रवर्तित किसी भी कंपनी को ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि हेतु संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी :

परंतु यह कि उप-विनियम (4) के उपबंध ऐसी असूचीबद्ध कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा संप्रवर्तित कंपनी पर लागू नहीं होंगे ।

सूचना दस्तावेज में अशुद्ध कथन के लिए दायित्व

106यड. सूचना दस्तावेज में किसी अशुद्ध कथन या उसके अंतर्गत किसी लोप के मामले में, किसी व्यक्ति जिसने सूचना दस्तावेज को जारी करना प्राधिकृत किया हो अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अनुसार दायी होगा ।"

(ii) अनुसूची XIX के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"अनुसूची XIX क

[विनियम 106य(1) देखें]

सूचना दस्तावेज

1.1. कारबार का विवरण :

- I. कंपनी, इसकी समनुषगियों के कारबार के साधारण विकास का वर्णन करें;
- II. खंड (सेगमेंट) में कंपनी द्वारा उत्पादित मुख्य उत्पाद तथा दी गयी सेवाएँ और खंड (सेगमेंट) के मुख्य उत्पादों तथा सेवाओं के लिए मुख्य बाजार;
- III. कच्ची सामग्रियों के स्रोत और उपलब्धता;
- IV. खंड (सेगमेंट) का महत्व और धारित समस्त पेटेंटों, व्यापार-चिह्नों(ट्रेडमार्क), अनुज्ञप्तियों(लाइसेंसों), फ्रेंचाइज़ीज़, और रियायत की अवधि और इनका प्रभाव;
- V. कार्यशील पूँजी मदों के संबंध में कंपनी तथा उद्योग (संबंधित उद्योग) की पद्धतियाँ;
- VI. यदि तात्त्विक हो, तो सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार अवधारित कंपनी-प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के संबंध में अंतिम तीन राजकोषीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान खर्च की गयी अनुमानित रकम;
- VII. कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या;
- VIII. इस खंड का आशय कंपनी (कारपोरेट) संबंधी अन्यथा असार्वजनिक जानकारी के प्रकटीकरण की अपेक्षा करना नहीं है जिसके प्रकटीकरण से कंपनी की प्रतियोगी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

1.2. वित्तीय जानकारी :

पूर्व वर्ष का संपूर्ण लेखारीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण, तत्संबद्ध संलग्नक और लेखों के प्रति टिप्पणियाँ ।

1.3. पूँजी संरचना को निम्नलिखित रीति में सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जायेगा :

- (क) प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और समादत्त पूँजी (प्रतिभूतियों की संख्या, विवरण और कुल अभिहित मूल्य);
- (ख) शेयर प्रीमियम खाता;
- (ग) कंपनी की विद्यमान शेयर पूँजी के व्यौरे सारणीबद्ध रूप में, जिनके अंतर्गत प्रत्येक आबंटन के संबंध में आबंटन की तारीख, आबंटित शेयरों की संख्या, आबंटित शेयरों का अंकित मूल्य और प्रतिफल का स्वरूप उपदर्शित करते हुए ।

1.4. संपत्ति का विवरण :

I. इस खंड में स्थिर आस्तियों और बौद्धिक संपदा अधिकारों, इत्यादि संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण अपेक्षित है ;

II. उन एंटिटियों के नाम जिनसे ऐसी संपत्ति अर्जित की गयी है, हक का स्वरूप, ब्यौरे कि क्या कंपनी द्वारा अर्जित ऐसी संपत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त है और इसका हक स्पष्ट है और क्या यह कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत है ;

III. क्या कोई ऐसी संपत्ति संबंधित पक्षकारों (पार्टियों) से अर्जित की गयी है ।

2. जोखिम कारक

2.1. जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ "जोखिम कारक" शीर्षक के अधीन उन अतिमहत्वपूर्ण कारकों का विवरण उपलब्ध कराये जो प्रस्ताव को सट्टेबाजी वाला या जोखिम वाला बनाते हों । यह विवरण संक्षिप्त और तार्किक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए ।

2.2. जोखिम कारकों में, अन्यो के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा :

I. प्रचालन-संबंधी इतिवृत्त की कमी ;

II. हाल ही की अवधियों में लाभदायी प्रचालनों की कमी ;

III. वित्तीय स्थिति ;

IV. कारबार या प्रस्तावित कारबार ;

V. कंपनियों के इक्विटी शेयरों अथवा इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय या के लिए प्रयोक्तव्य प्रतिभूतियों हेतु बाजार की कमी ।

3. कतिपय हिताधिकारी स्वामियों तथा प्रबंधन का प्रतिभूति स्वामित्व ।

3.1. हिताधिकारी स्वामी की शेयरधारिता के संबंध में जानकारी :

प्रतिभूतियों का वर्ग / प्रकार	हिताधिकारी स्वामी का नाम एवं पता	रकम और हिताधिकारी स्वामित्व का स्वरूप	प्रतिशत

3.2. कोई महत्वपूर्ण शेयरधारक करार और उसके ब्यौरे ।

4. निदेशक तथा कार्यपालक अधिकारी

कंपनी के सभी निदेशकों और निदेशक बनने के लिए नामित या चुने गये सभी व्यक्तियों के नामों और आयु की सूची; कंपनी में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित समस्त ओहदे और पद उपदर्शित करें; निदेशक के रूप में उसकी पदावधि और किसी अवधि (किन्हीं अवधियों) का उल्लेख करें जिनके दौरान उसने इस हैसियत से कार्य किया हो; उसके और किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) [ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम देते हुए] के बीच किसी इंतजाम या समझौते का संक्षिप्त वर्णन करें जिसके अनुसरण में उसे निदेशक या नामनिर्देशिती के रूप में चुना गया था या चुना जाना है।

5. संप्रवर्तक

5.1. संप्रवर्तकों का संपूर्ण प्रोफाइल, जिसमें उनके नाम, आयु, निजी पते, शैक्षणिक अहर्ताएँ, कारबार या नियोजन और प्रस्ताव दस्तावेज में प्रस्तावित कारबार के क्षेत्र में अनुभव, विगत में धारित हैसियत/पद, धारित निदेशक पद, प्रत्येक संप्रवर्तक के अन्य उद्यम, उनके कारबार और वित्तीय क्रियाकलाप, फोटोग्राफ, मतदाता पहचान संख्या, वाहन चालक लाइसेंस संख्या सम्मिलित है, प्रकट की जायेगी।

5.2. जहाँ संप्रवर्तक कंपनियाँ हैं :

कंपनियों और उनके संप्रवर्तकों का इतिवृत्त प्रस्तुत किया जायेगा। यदि ऐसी कंपनियों के संप्रवर्तक कंपनियाँ या निगमित निकाय हैं, तो नियंत्रणधारी प्रकृत व्यक्तियों (अर्थात्, पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक मताधिकार धारण करने वाले) या जो ऐसे निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड में हैं, के नाम प्रकट किये जायेंगे। संप्रवर्तक कंपनियों के नियंत्रण या प्रबंधन में परिवर्तन के ब्यौरे, यदि कोई हों, जिनमें उन व्यक्तियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं जिन्होंने प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने से ठीक पहले के तीन वर्षों में नियंत्रक हित धारण किया।

6. कतिपय संबंध और संबंधित संव्यवहार, तथा निदेशक स्वतंत्रता

संबंधित पक्षकारों के साथ किसी संव्यवहार का वर्णन करें जिसमें कंपनी सहभागी थी या होनी है और शामिल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक हो जाती है।

7. विधिक कार्यवाहियाँ

इस खंड में किन्हीं तात्त्विक लंबित विधिक कार्यवाहियों (कारबार से आनुषंगिक साधारण नैतिक मुकदमों से भिन्न, जैसे बीमा कंपनी के ग्राहकों के खिलाफ मुकदमे) का प्रकटीकरण अपेक्षित है जिसमें कंपनी या इसकी समानुषंगियों में से कोई पक्षकार है या जिसमें उनकी संपत्तियों में से कोई संपत्ति विषयवस्तु है। इस खंड में कार्यवाहियों और अपेक्षित न्यायालय कार्रवाई (कार्रवाईयों) में अंतर्निहित तथ्यों का विवरण सम्मिलित होना चाहिए।

8. घोषणा

8.1. प्रारूप सूचना दस्तावेज और अंतिम सूचना दस्तावेज निर्गमकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित होगा और सभी निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अर्थात्, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर प्रबंध निदेशक या प्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी, अर्थात्, पूर्णकालिक वित्त निदेशक या वित्त-संबंधी कृत्य के प्रधान तथा उस कृत्य का निर्वहन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

8.2. हस्ताक्षरकर्ता यह भी प्रमाणित करेंगे कि प्रस्ताव दस्तावेज में किये गये सभी प्रकटीकरण सत्य और सही हैं ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में, विनियम 1 में, -

- (i) उप-विनियम (3) में, पूर्ण विराम के लिए, ":" प्रतिस्थापित हो जायेगा;
- (ii) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -
"परंतु यह कि ये विनियम मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध कंपनी में शेयरों या मताधिकारों, या उस पर नियंत्रण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्जन पर लागू नहीं होंगे ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में, विनियम 3 में, -

- (i) उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न "असूचीबद्ध हैं ।" के लिए, शब्द और चिह्न "सूचीबद्ध हैं :" प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;
- (ii) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्, -
"परंतु यह कि ये विनियम मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होंगे ।"

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69 जैडबी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th October, 2013

Securities and Exchange Board of India**(Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013**

No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 11, sub-section (2) of Section 11A and Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), Section 31 read with Section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely :—

Short title and commencement

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009,—

(i) after Chapter XB, the following Chapter shall be inserted, namely :—

"CHAPTER XC**LISTING AND ISSUE OF CAPITAL BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM WITHOUT INITIAL PUBLIC OFFERING****Applicability**

106W. The provisions of this Chapter shall apply to small and medium enterprises which do not have their securities listed on any recognised stock exchange and which seek listing of their specified securities exclusively on the institutional trading platform.

Definitions

106X. (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

- (a) "institutional trading platform" means the trading platform in a SME exchange for listing and trading of specified securities of small and medium enterprises for informed investors;
- (b) "small and medium enterprise" means a public company including start-up company, that complies with all the eligibility conditions specified in Regulation 106Y.

(2) All other words and expressions used in this Chapter but not defined under sub-regulation (1) shall derive their meaning from Regulation 2 of these regulations.

Eligibility.

106Y. A small and medium enterprise shall be eligible for listing of its securities on the institutional trading platform, if it satisfies the following :

- a) the company, its promoter, group company or director does not appear in the wilful defaulters list of Reserve Bank of India as maintained by Credit Information Bureau (India) Limited;
- b) there is no winding up petition against the company that has been admitted by a competent court;
- c) the company, group companies or subsidiaries have not been referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction within a period of five years prior to the date of application for listing;
- d) no regulatory action has been taken against the company, its promoter or director, by the Board, Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority or Ministry of Corporate Affairs within a period of five years prior to the date of application for listing;
- e) the company has not completed a period of more than ten years after incorporation and its revenues have not exceeded one hundred crore rupees in any of the previous financial years;
- f) the paid up capital of the company has not exceeded twenty five crore rupees in any of the previous financial years;
- g) the company has atleast one full year's audited financial statements, for the immediately preceding financial year at the time of making listing application;
- h) any one of the following criteria :
 - (i) Atleast one alternative investment fund, venture capital fund or other category of investors/lenders approved by the Board has invested a minimum amount of fifty lakh rupees in equity shares of the company, or
 - (ii) Atleast one angel investor who is a member of an association/group of angel investors which fulfils the criteria laid down by the recognised stock exchange, has invested a minimum amount of fifty lakh rupees in the equity shares of the company through such association/group, or
 - (iii) The company has received finance from a scheduled bank for its project financing or working capital requirements and a period of three years has elapsed from the date of such financing and the funds so received have been fully utilized, or

- (iv) A registered merchant banker has exercised due diligence and has invested not less than fifty lakh rupees in equity shares of the company which shall be locked in for a period of three years from the date of listing, or
- (v) A qualified institutional buyer has invested not less than fifty lakh rupees in the equity shares of the company which shall be locked in for a period of three years from the date of listing, or
- (vi) A specialized international multilateral agency or domestic agency or a public financial institution as defined under section 4A of the Companies Act, 1956 has invested in the equity capital of the company.

Listing of specified securities

106Z. (1) A company that fulfils the eligibility criteria specified in Regulation 106Y may apply to a recognised stock exchange for listing of its specified securities on the institutional trading platform, enclosing therewith an information document containing disclosures as specified in Schedule XIX A.

(2) The information document shall be made public by hosting it on the website of recognised stock exchange for a period of atleast twenty one days from the date of such filing.

(3) The recognised stock exchange may grant in-principle approval to the company.

(4) The company which has received in-principle approval from the recognised stock exchange for listing of its specified securities on the institutional trading platform shall be deemed to have been waived by the Board under sub-rule (7) of Rule 19 from clause (b) of sub-rule (2) of Rule 19 of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 for the limited purpose of listing on institutional trading platform.

(5) The recognised stock exchange on satisfying that the applicant is compliant with Regulation 106Y and its bye-laws may list the securities of the company on the institutional trading platform.

Conditions on issue of securities and raising of capital

106ZA. (1) Listing of specified securities on institutional trading platform shall not be accompanied by any issue of securities to the public in any manner.

(2) The company shall not make initial public offering while its specified securities are listed on institutional trading platform.

(3) The company listed on institutional trading platform may raise capital through private placement or rights issue without an option for renunciation of rights.

(4) The private placement of securities by a company whose securities are listed on institutional trading platform shall be subject to the following :

- a) the company shall obtain in-principle approval from the recognised stock exchange prior to private placement;

- b) the approval of shareholders through a special resolution under sub-section (1A) of Section 81 of Companies Act, 1956 shall be obtained;
- c) the company shall complete allotment of securities within two months of obtaining such approval;
- d) the explanatory statement to the notice to shareholders shall include the disclosures regarding:
 - (i) the purpose for private placement;
 - (ii) identity of allottees;
 - (iii) whether allottee is a promoter or belongs to the promoter group and if not the relationship between promoter and allottee;
 - (iv) nature of securities being issued;
 - (v) price at which the security is being issued.
- e) the disclosures as referred to in clause (d) of sub-regulation (4) shall be made available to the recognised stock exchanges for dissemination, atleast fifteen days prior to the general body meeting where approval of shareholders is being sought for the proposed private placement;
- f) the securities so issued through private placement shall be made at a price not less than higher of the following:
 - (i) the book value of the equity shares as per its last audited financial statement not older than six months;
 - (ii) value of shares as determined in an independent auditor's or registered merchant banker's report.

(5) A company listed on institutional trading platform making a rights issue shall comply with the following:

- a) there shall not be an option for renunciation of rights;
- b) the company shall obtain in-principle approval from the recognised stock exchange where its securities are listed prior to a rights issue;
- c) the company making a rights issue shall send a letter of offer to its shareholders through registered post or speed post or electronic mode and the same shall be made available on the website of the company and the recognised stock exchange.

Minimum promoter shareholding and lock-in.

106ZB. Not less than twenty per cent. of the post listing capital shall be held by the promoters at the time of listing of specified securities of the small and medium enterprise which shall be locked-in for a period of three years from date of listing.

Trading of specified securities.

106ZC. (1) All specified securities of the company shall be in dematerialized form upon listing on institutional trading platform.

(2) The company shall have connectivity with atleast one depository at all times.

(3) The minimum trading lot on institutional trading platform shall be ten lakh rupees.

Exit from institutional trading platform.

106ZD. (1) A company whose specified securities are listed on institutional trading platform may exit from that platform, if:

- a) its shareholders approve such exit by passing a special resolution through postal ballot where ninety per cent. of total votes and the majority of non-promoter votes have been cast in favour of such proposal;
- b) the recognised stock exchange where its shares are listed approve such exit.

(2) A company whose securities are listed on institutional trading platform shall exit the platform in the event of:

- a) its specified securities have been listed on this platform for a period of ten years;
- b) the company has paid up capital of more than twenty five crore rupees;
- c) the company has revenue of more than three hundred crore rupees as per the last audited financial statement;
- d) the company has market capitalization of more than five hundred crore rupees:

Provided that the stock exchange may grant eighteen months time to such company to delist upon happening of any of the events as referred to in clauses (a) to (d).

(3) A company listed on institutional trading platform shall be delisted and permanently removed from the institutional trading platform under the following circumstances:

- a) the company has failed to file its periodic filings with the recognised stock exchange for more than one year; or
- b) the company has failed to comply with corporate governance norm(s) for more than one year; or
- c) notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), the recognised stock exchange may delist the company on non-compliance of the condition of listing as may be specified by the recognised stock exchange.

(4) In case of a company delisted under sub-regulation (3), no company promoted by promoters and directors of such delisted company shall be permitted to be listed on institutional trading platform for a period of five years from the date of such delisting:

Provided that the provisions of sub-regulation (4) shall not apply to a company promoted by the independent directors of such a delisted company.

Liability for mis-statement in the information document.

106ZE. In case of any mis-statement in the information document or any omission therein, any person who has authorized the issue of information document shall be liable in accordance with the provisions of the Act and regulations made thereunder."

(ii) after Schedule XIX, the following Schedule shall be inserted, namely :—

*"SCHEDULE XIXA**[See regulation 106Z(1)]***INFORMATION DOCUMENT**

1. Business.

1.1. Description of business:

- I. Describe the general development of the business of the company, its subsidiaries;
- II. The principal products produced and services rendered by the company in the segment and the principal markets for the segment's principal products and services;
- III. The sources and availability of raw materials;
- IV. The importance of the segment and the duration and effect of all patents, trademarks, licenses, franchises and concessions held;
- V. The practices of the company and the industry (respective industries) relating to working capital items;
- VI. If material, the estimated amount spent during each of the last three fiscal years on company-sponsored research and development activities determined in accordance with generally accepted accounting principles;
- VII. The number of persons employed by the company;
- VIII. This section is not intended to require disclosure of otherwise non-public corporate information the disclosure of which would affect adversely the company's competitive position.

1.2. Financial information:

Complete audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash Flow statement, with attendant annexure and notes to accounts for the previous year.

1.3. The capital structure shall be presented in the following manner in a tabular form:

- (a) The authorised, issued, subscribed and paid up capital (number of securities, description and aggregate nominal value);
- (b) Share premium account;
- (c) The details of the existing share capital of the company in a tabular form, indicating therein with regard to each allotment, the date of allotment, the number of shares allotted, the face value of the shares allotted and the form of consideration.

1.4. Description of property:

- I. This section requires disclosure of information on fixed assets and intellectual property rights etc.

II. The names of the entities from whom such property has been acquired, nature of title, details of whether such property acquired by the company is free from all encumbrances and has a clear title and whether it is registered in the name of the company;

III. Whether any such property has been acquired from related parties.

2. Risk factors.

2.1. Where appropriate, provide under the caption "Risk Factors" a description of the most significant factors that make the offering speculative or risky. This description must be concise and organized logically.

2.2. The risk factors may include, among other things, the following:

I. The lack of an operating history;

II. The lack of profitable operations in recent periods;

III. The financial position;

IV. The business or proposed business;

V. The lack of a market for the company's equity shares or securities convertible into or exercisable for equity shares.

3. Security ownership of certain beneficial owners and management.

3.1. Information with respect to the shareholding of a beneficial owner:

Class/ type of securities	Name and address of beneficial owner	Amount and nature of beneficial ownership	Percent

3.2. Any significant shareholders agreement and details thereof.

4. Directors and executive officers.

List the names and ages of all directors of the company and all persons nominated or chosen to become directors; indicate all positions and offices with the company held by each such person; state his term of office as director and any period(s) during which he has served as such; describe briefly any arrangement or understanding between him and any other person(s) [naming such person(s)] pursuant to which he was or is to be selected as a director or nominee.

5. Promoters.

5.1. A complete profile of their promoters, including their name, age, personal addresses, educational qualifications, experience in the business or employment and in the line of business proposed in the offer document, positions/posts held in the past, directorship(s) held, other ventures of each promoter, their business and financial activities, photograph, voter identification number, driving license number, shall be disclosed.

5.2. Where the promoters are companies:

History of the companies and their promoters shall be furnished. In case the promoters of such companies are again companies or bodies corporates, names of natural persons in control (i.e., holding fifteen per cent or more voting rights) or who are on the board of directors of such bodies corporate shall be disclosed. Details of change in control or management of the promoter companies, if any, including details of the persons who held the controlling interest in the three years immediately preceding the filing the draft offer document.

6. Certain relationships and related transactions, and director independence.

Describe any transaction with related parties in which the company was or is to be a participant and the amount involved exceeds a twenty five thousand rupees.

7. Legal proceedings.

This section requires disclosure of any material pending legal proceedings (other than ordinary routine litigation incidental to the business, such as lawsuits against an insurance company's customers) to which the company or any of its subsidiaries is a party or in which any of their property is the subject. This section must include a description of the facts underlying the proceedings and the court action(s) sought.

8. Declaration.

8.1. The draft information document and the final information document shall be approved by the board of directors of the issuer and shall be signed by all directors, the Chief Executive Officer, i.e., the Managing Director or Manager within the meaning of the Companies Act, 1956 and the Chief Financial Officer, i.e., the whole-time finance director or any other person heading the finance function and discharging that function.

8.2. The signatories shall further certify that all disclosures made in the offer document are true and correct."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

4. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, in regulation 1,-

(i) in sub-regulation (3), for the full stop, the symbol ":" shall be substituted;

(ii) after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that these regulations shall not apply to direct and indirect acquisition of shares or voting rights in, or control over a company listed on the institutional trading platform of a recognised stock exchange."

Amendment to the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009.

5. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, in regulation 3, -

(i) in sub-regulation (1), for the full stop, the symbol ":" shall be substituted;

(ii) after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that these regulations shall not apply to securities listed on the institutional trading platform of a recognised stock exchange."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/13]